

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग।

शुद्धि पत्र

समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत विभिन्न लाभुक श्रेणियों के लिए संचालित सभी प्रकार के गृहों के साज-सज्जा एवं आधुनिकीकरण हेतु कुल 921.00 लाख (नौ करोड एककीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-36 दिनांक 27.06.2019 के कंडिका-03 को विलोपित करते हुए निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है-

सभी गृहों में साज-सज्जा एवं आधुनिकीकरण हेतु उपरोक्त कार्य संचालित गृहों के योजना बजट शीर्ष से ही विकलनीय होगी। राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रय गृह अन्तर्गत संचालित उत्तर रक्षा गृह के लिए उक्त व्यय मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-104-वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण-0001 के आकस्मिकता व्यय/सामग्री एवं पूर्तियों मद के बजट शीर्ष से होगी। गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित विभिन्न गृहों में सांस्थानिक देख-भाल के अनावर्ती मद में दी जाने वाली मद के अलावे वैसे कार्य जो गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा किये जाने हैं इसके अतिरिक्त अन्य सभी नये कार्य जो उक्त स्वीकृत्यादेश में उल्लिखित हैं, वह जिला स्तरीय पदाधिकारी यथा सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अथवा अन्य के द्वारा व्यय किया जायेगा। उक्त राशि अन्तर्गत जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा सामग्री क्रय कर गैर सरकारी संस्थाओं को उपलब्ध कराया जायेगा तथा संस्थान का संचालन बन्द होने की स्थिति में जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा सभी सामग्री गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त कर इन्वैन्ट्री के रूप में रखना सुनिश्चित करेंगे

2. शेष यथावत रहेगा।

ह०/-

संयुक्त निदेशक (मु0),

समाज कल्याण विभाग।

जापांक :- सं0सं0-03/यो0-सं0क०-08/2019/..... पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/ निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/ निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/ निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/ निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/सचिव, बिहार अधिकार संरक्षण आयोग, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त निदेशक (मु0),

समाज कल्याण विभाग।

जापांक :- सं०सं०-०३/यो०-सं०क०-०८/२०१९/..... पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकार, पटना एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त निदेशक (मु०),

समाज कल्याण विभाग।

जापांक :- सं०सं०-०३/यो०-सं०क०-०८/२०१९/..... ३८

पटना, दिनांक १०.७.१९

प्रतिलिपि:- विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

संयुक्त निदेशक (मु०),

समाज कल्याण विभाग।